

Goods & Services Tax Compensation Cess Rules, 2017

Rule 2 : Adaptation of Central Goods and Services Tax Rules, 2017

- (1) The Central Goods and Services Tax Rules, 2017 shall, mutatis mutandis, apply, subject to the following modifications, namely:-
- (a) in rule 1,-
 - (i) for the words and figures "Central Goods and Services Tax Rules, 2017", the words and figures, "Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017" shall be substituted;
 - (b) rules 3 to 7 shall be omitted;
 - (c) rules 117 to 120 shall be omitted.
-

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) नियम, 2017

नियम 2 : माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 का अनुकूलन

(1) माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगा बशर्ते कि निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे, यथा:-

(क) नियम 1 में,—

(i) शब्द और अंक "केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर नियमावली, 2017" के स्थान पर "माल एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर, नियमावली, 2017" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) नियम 3 से 7 को निरसित कर दिया जाएगा।

(ग) नियम 117 से 120 को निरसित कर दिया जाएगा।